प्रेस नोट **दिनांक 21.07.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 21.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 367 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

अवैध ताड़ी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से कुल 80 लीटर ताडी बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बराये रखने हेतु अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को समय एक नफर अभियुक्त 1. संजय सोनकर पुत्र स्व0 झब्बू सोनकर निवासी पुरादुर्जनराय(महरनिया) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना के आधार पर आलिया स्कूल के पीछे बेलवाघाट तमसा नदी के किनारे थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से 35-35 लीटर नीले जरिकेन व 10 लीटर पीले जरीकेन (कुल 80 लीटर) अवैध कच्ची ताड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय सोनकर पुत्र स्व0 झब्बू सोनकर निवासी पुरादुर्जनराय(महरनिया)थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. 105/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

बरामदगी

1. 35-35 लीटर नीले जरिकेन व 10 लीटर पीले जरीकेन (कुल 80 लीटर) अवैध कच्ची ताड़ी

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 21.07.2026 को थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की पुलिस टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था व गश्त/वाहन चेकिंग भदेसरा मोड़ पर मौजूद थी कि इसी दौरान मुखबिर खास की सटीक सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, पुलिस टीम द्वारा आलिया स्कूल के पीछे बेलवाघाट तमसा नदी के किनारे थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास मौजूद नीले व पीले जरिकेन की तलाशी लेने पर उसमें से 35-35 लीटर नीले जरिकेन व 10 लीटर पीले जरीकेन (कुल 80 लीटर) अवैध ताड़ी बरामद हुई। इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 12235-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष दक्षिण टोला के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, अकिब जावेद पुत्र इजहारुल निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना दक्षिण टोला में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 12235 /- रुपये वापस कराया गया।

प्रेस नोट

21/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

2. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तगण, 1. रामध्यान राजभर पुत्र बन्शी राजभर निवासी इन्दारा, 2. मोहम्मद रमजान पुत्र इफतेखार निवासी वजिदपुरा दक्षिण कस्बा, 3. गोपाल सोनकर पुत्र सुरेन्द्र सोनकर निवासी फुलेलपुरा, 4. शकील अहमद पुत्र मरगूब अहमद निवासी जुम्मनपुरा, 5. महेन्द्र राजभर पुत्र दलसिगार उर्फ दल्लू निवासी कुर्तीजाफरपुर समस्त थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

3. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त छल्ली सिंह पुत्र रामविजय सिंह निवासी सद्दोपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालना मा0 न्यायालय किया गया।

4. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त चन्द्रभान यादव पुत्र स्व0 राजदेव यादव निवासी फतहपुर थाना मधुबन को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया

थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 3500-/ रूपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक मधुबन के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, मिन्ता निवासी किशुनपुर जनपद मऊ धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना मधुबन में नियुक्त साइबर टीम

द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 3500 /- रुपये वापस कराया गया।